📞 अनुसूर्यामा व प्रारम । ५६७

न्यायालय अनुमण्डल नीलाम-पत्र पदाधिकारी बगोदर-सरिया (गिरिडीह)। ८.०१ २१ ८०१

बनाम

आदेश–पत्रक

ा हादुर् अस्त्री

पक्ष

देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129 आदेश सं० क. ता०.....तक जिला गिरिडीह।

मूल 4185310 कोर्ट फी०... 866, छ

elen 42719,00 निलाम-पत्र वाद संख्या 1.05/24

आदेश की क्रम सं0 और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख सहित		
1	. 2	3		
	शासा प्रबन्धक अनुमण्डल निलाम पत्र प्रिया अनुमण्डल निलाम पत्र प्रमाण विकार अनुमण्डल निलाम प्रिया प्रमाण प्रमाण अनुमण्डल निलाम प्रमाण अधिनायम को धारा है। अधियायना पत्र के साथ देनदार द्वारा किया गया लोक मांग वस्त अधिनायम के अधीन वस्ती हेतु एकरारनामा की प्रति लेखा विवरणी तथा अन्यान्य कागानात दाखिल किया गया है। स्वाण प्रमाण प्रमा			





Form No.2

REQUISITION FOR A CERTIFICATE

To

The Certificate Officer of the Giridih

(Section 5 of the Jharkhand & Orissa Act IV of 1914)

Posen	105
Circo.	21

Name of the Certificate Debtor/ Debtors	Address of the Certificate Debtor	Amount of Public demanded for which this requisition is made.	Nature of Public Demand for which this requisition is made.
BORROWER BAHADUR MAHTO S/O GAJO MAHTO	VILL-BIHARO PO-ATKA P.S - BAGODAR DIST - GIRIDIH	Principal Amount as per Ledger Balance Rs. 41853.00 Court Fee. Rs. 866.00 Rs. 42719.00	A Term Loan was sanctioned to the C. Dr by C. Hr (Bank of India, ATKA Branch vide A/C No. 483732110000851. Due to non-payment of installment/ interest/ principal debt, the account has been classified NPA on 31-Mar-17 as per guideline of R.B.I. The Bank/C.Hr approached the C.Dr and requested to repay the said loan amount and issued demand notice as well as legal notice to this effect, but all efforts became in vain. Hence this case is being filed for realization of the certificated amount including interest and the cost if any from the C.Dr till the disposal of the case.

I request you to recover the above mentioned sum of Rs. **42719.00** Which I am satisfied after enquiry is due from the Certificate debtor/debtors in respect of Loan Account.

Verified by me on the

REQUISITIONING OFFICER

(2) आदेश पर की गई क्षा की क्र॰ सं० आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर कारवाई के बारे में और तारीख टिप्पणी तारीख सहित 1 अभिलेख उपस्थापित। धारा-७ की नोटिस 2/9/22 तामिला हेतु CH को दिनांक-06.08.2021 को उपलब्ध करा दिया गया था परन्तु एक वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि CH को इस वाद में कोई रुचि नहीं है। CH को अंतिम मौका दें कि तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध करावें अन्यथा Boards Instructions No.-6 के प्रावधानों की अवहेलना में वाद की कार्यवाई समाप्त कर दी जायेगी तथा इसकी सारी जबावदेही CH की होगी। CH को इस आदेश से अवगत करावें। अभिलेख दिनांक. 19 9 22 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित। अनुमण्डल पदाधिकारी उनमिलेल उपस्मापित 10म छ।रो 19-9-22 यामिला समिवदन अपलक्ष मही भयमा उपित्राम नहीं है। छन्। भारति विस्तांक 11.10.22 की 34621147 7001 अनिलेष उपस्थापित । अगदेश की 11.10.22 10-12-22

10/12/2

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष / अनुपरिथत।

Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act, 1914 के अंतर्गत धारा-7 की नोटिस तामिला हेतु CH को उपलब्ध कराया गया था, परन्तु उनके द्वारा तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया।

दिनांक-02.09.2022 को Boards Instructions No. 6 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुये वाद की कार्यवाई समाप्त करने हेतु कार्यवाई प्रारम्भ करने की सूचना CH को दी गई थी, तथापि तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया।

स्पष्टतया CH की इस वाद में कोई अभिरूचि प्रतीत नहीं होती है। Board's Instruction No. 6 में प्रावधानित है कि '' Responsibility of Requiring-officer and Certificate-officer for prompt disposal of certificate cases. — The Requiring-officer and Certificate-officer are jointly responsible of the punctual disposal of certificate cases and are bound to bring to each other's notice and if necessary to the notice of the Collector, any

undue delay. The Requiring-officer is primarily responsible for systematic application for certificates, the prompt disposal of objections if referred to him under Rule 11, Schedule II to the Act, the return of the files after such disposal, and the early application for execution, giving details of the property against which the certificate is to be enforced. He is also responsible for seeing, from time to time, that the execution proceedings are progressing. He is responsible for reporting punctually all payments out of Court, as prescribed in Instruction 24 below."

अतः उक्त विवेचन के आलोक में इस वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। साथ ही यदि किसी राशि की वसूली अवशेष रह जाती है तो इसके लिये CH पूरी तरह से जिम्मेवार होंगे।

सर्टिफिकेट ऑफिसर

–ਸ਼ह–

अनुमण्डल पदाधिकारी बगोदर-सरिया।